

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवार्ये) अनुभाग-2
संख्या-14/2017/एस-2-486/दस-2017-33(72)/1993

लखनऊ :: दिनांक:: 19 अप्रैल,2017

संशोधित/ सेवानिवृत्ति/विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या-03/2017/एस-2-120/दस-2017-33(72)/1993, दिनांक 31 जनवरी, 2017 में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा, ग्रेडपे 8900 के अधिकारी श्री चन्द्रदेव राम यादव की ग्रेडेशन लिस्ट में जन्मतिथि 09-09-1958 अंकित होने के कारण इनका नाम त्रुटिवश छूट गया था। ग्रेड वेतन रू0 8900 के क्रमांक-5 में उक्त नाम निम्नवत जोडा जाता है -

ग्रेड वेतन रू0 8900

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	ज्येष्ठता क्रमांक	वर्तमान तैनाती	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री चन्द्रदेव राम यादव	01-1-1958	307	निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ	31-12-2017

2- शासनादेश संख्या-03/2017/एस-2-120/दस-2017-33(72)/1993, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शिव गोपाल सिंह
अनु सचिव।

संख्या-14/2017/एस-2-486(1)/दस-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, (द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/संबन्धित अधिकारियों को आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 3- निदेशक, पेंशन निदेशालय/निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।
- 5- अपर निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

- 6- संबंधित विभागाध्यक्ष/संबंधित अधिकारीगण (द्वारा निदेशक कोषागार 30प्र0 लखनऊ)।
- 7- वित्त (सेवार्ये) अनुभाग-1/3
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या- /2017/एस-2- /दस-2017-33(72)/1993
लखनऊ :: दिनांक:: अप्रैल,2017

संशोधित/ सेवानिवृत्ति/विज्ञप्ति

उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के समूह- क एवं ख के कैलेण्डर वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की सूची जो पूर्व में दिनांक 31-01-2017 को जारी हुई थी जिसमें श्री चन्द्रदेव राम यादव का ग्रेडेशन लिस्ट में जन्मतिथि 09-09-1958 अंकित होने के कारण नाम छूट गया था। श्री चन्द्रदेव राम यादव एवं निदेशक कोषागार के पत्र द्वारा जन्मतिथि 01-01-1958 अवगत कराया गया है, जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्व कर दिनांक 31-12-2017 के अपरान्ह में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 के मूल नियम-56 (क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हो जायेंगे, को ग्रेड पे 8900 के कालम के क्रमांक-5 पर उनका नाम निम्नवत जोडा जाता है-

ग्रेड वेतन रू0 8900

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	ज्येष्ठता क्रमांक	वर्तमान तैनाती	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	रामानन्द	09-6-1957	139	निलम्बित, सम्बद्ध निदेशक कोषागार उ0प्र0 लखनऊ।	30-06-2017
2	कैलाश नाथ	10-8-1957	259	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।	31-08-2017
3	पारस नाथ मौर्य	07-1-1957	277	अपर सचिव (वित्त) लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।	31-01-2017
4	रामचन्द्र	10-9-1957	337	वित्त नियंत्रक, यूनानी निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।	30-09-2017
5	चन्द्रदेव राम यादव	01-1-1958	307	निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ	31-12-2017

शिव गोपाल सिंह
अनु सचिव।

संख्या- /2017/एस-2- (1)/दस-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, (द्वितीय) 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे संमस्त संबंधित विभागाध्यक्षों/संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 3- निदेशक, पेंशन निदेशालय/निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0 इलाहाबाद को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।
- 5- अपर निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 6- संबंधित विभागाध्यक्ष/संबंधित अधिकारीगण (द्वारा निदेशक कोषागार 30प्र0 लखनऊ)।
- 7- वित्त (सेवार्ये) अनुभाग-1/3
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।